

विभाग द्वारा
आवधिकारिक रूप से
प्रमाणित

पत्रांक : 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/10(स्वी०)/प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 06/08/2019

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त की राशि को निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा के अन्दर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप सूद की कुल ₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी (8386) ग्राम पंचायतों के बीच वितरण की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निम्नान्वे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की द्वितीय किस्त की राशि को विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 25 (स्वी०) दिनांक 16.01.2019 एवं आवंटनादेश संख्या 53 (आ०) दिनांक 16.01.2019 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई। 14वें वित्त आयोग अनुदान के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.10.2015 को जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान राज्यों को उनके खाते में जमा किए जाने के 15 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायतों को जारी कर देना है। विलम्ब होने की स्थिति में राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर अपने कोष से ब्याज के साथ किस्त जारी कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाना अनिवार्य है।

2. उक्त के आलोक में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-जी-39011/2/2016-एफ.डी. दिनांक 06.05.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निम्नान्वे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की द्वितीय किस्त की राशि ग्राम पंचायतों को 15 दिनों की निर्धारित अवधि के उपरांत 09 दिनों के विलम्ब के लिए ग्राम पंचायतों को ब्याज जारी करने के पश्चात संशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2019-20 की बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त की राशि राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किया जा सके। इस संबंध में कहना है कि राज्य स्तर पर इस राशि की निकासी में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण मात्र 09 (नौ) दिनों का प्रक्रियात्मक विलम्ब/देरी (सार्वजनिक/राजपत्रिक अवकाश सहित) हुई है, जो वि अत्यंत अल्पावधि है।

उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 14.06.2019 एवं आवंटनादेश संख्या 13(आ०) दिनांक 14.06.2019 द्वारा 09 (नौ) दिनों के विलम्ब अवधि का भारतीय रिजर्व बैंक की 6.50 प्रतिशत बैंक दर से कुल ₹3,36,56,000.00 (तीन करोड़ छत्तीस

रिजर्व

रिजर्व

रिजर्व

लाख छप्पन हजार रुपये) मात्र की सूद की राशि को राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों के बीच वित्तीय वर्ष 2019-20 में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए संशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई।

3. पुनः पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-जी-39011/2/2016-एफ.डी. दिनांक 22.07.2019 द्वारा 09 (नौ) दिनों के विलम्ब अवधि का भारतीय रिजर्व बैंक की 6.75 प्रतिशत बैंक दर से कुल ₹3,49,50,000.00 लगभग (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र की सूद की राशि का संशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2019-20 की बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त की राशि राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किया जा सके।

अतएव उक्त वस्तुस्थिति के आलोक में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की द्वितीय किस्त की विमुक्त राशि को भारत सरकार से विमुक्ति हेतु 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के उपरांत 09 (नौ) दिनों के विलम्ब अवधि का भारतीय रिजर्व बैंक की 6.75 प्रतिशत बैंक दर से कुल ₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र की सूद की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 14.06.2019 (विवरणी सहित) एवं आवंटनादेश संख्या 13(आ०) दिनांक 14.06.2019 को निरस्त किया जाता है।

4. इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए किया जायेगा, जिसके संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3 दिनांक-17.07.2015, 11 दिनांक 31.03.2016, 465 दिनांक 27.01.2017 एवं 25 (स्वी०) दिनांक 16.01.2019 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत हैं।

5. 14वें वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2015-20 तक) की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant)/सूद की राशि को राज्य के ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके अगले किस्तों में संबंधित ग्राम पंचायतों को वितरित राशि में से किया जा सकेगा।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

7. इस स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HIDFC Bank, Bimla sadan, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेगे।

जिनेत मुबारक 12

9. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।
10. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।
11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1) के पृष्ठ संख्या 88/टि० पर दिनांक 29.07.2019 को प्राप्त है।
13. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1) के पृष्ठ संख्या 85/टि० पर दिनांक 01.08.2019 को प्राप्त है।
14. स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
05/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/10(2416)/प०रा० पटना, दिनांक 06/08/2019
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

05/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/10(2416)/प०रा० पटना, दिनांक 06/08/2019
प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

05/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/10(2416)/प०रा० पटना, दिनांक 06/08/2019
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

05/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/...../प०रा० पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि: उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी-03, 05 एवं 06/P

FMS सेल/लेखापाल/रोकडपाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रशाखा पदाधिकारी-06 (लेखा) एवं संबंधित कर्मी (लेखा) को यह निदेश दिया जाता है कि आई०टी० मैनेजर की सहायता से इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A

जिने

15/8/19

780

के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप राशि का PPA तैयार करते हुए PFMS Portal के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

05/08/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/10(2910)/प०रा० पटना, दिनांक 05/08/2019
प्रतिलिपि: सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद् लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

05/08/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/10(2910)/प०रा० पटना, दिनांक 05/08/2019
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली (E-mail ID- rcbihar@yahoo.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

05/08/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/10(2910)/प०रा० पटना, दिनांक 05/08/2019
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

05/08/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

रजि. 1/2019

14 वीं वित्त आयोग वितीय वर्ष 2019-20

क्रम सं०	जिला का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या-10/06.08.2019 आवंटन संख्या-22 (आ.)/06.08.2019 (सूद की राशि रुपये में)	कुल राशि लाख में
1	2	3	4
1	Araria	985908	9.86
2	Arwal	250099.00	2.50
3	Aurangabad	836754.00	8.37
4	Banka	755043.00	7.55
5	Begusarai	941762.00	9.42
6	Bhagalpur	936839.00	9.37
7	Bhojpur	847718.00	8.48
8	Buxar	573734.00	5.74
9	Darbhangha	1355219.00	13.55
10	E. Champaran	1820303.00	18.20
11	Gaya	1455014.00	14.55
12	Gopalganj	882727.00	8.83
13	Jamui	624596.00	6.25
14	Jehanahad	372402.00	3.72
15	Kaimur	587431.00	5.87
16	Katihar	1095023.00	10.95
17	Khagaria	586735.00	5.87
18	Kishanganj	582908.00	5.83
19	Lakheesarai	331983.00	3.32
20	Madhepura	777669.00	7.78
21	Madhubani	1644062.00	16.44
22	Munger	375720.00	3.76
23	Muzaffarpur	1571633.00	15.72
24	Nalanda	945595.00	9.46
25	Nawada	803872.00	8.04
26	Patna	1258142.00	12.58
27	Purnea	1129336.00	11.29
28	Rohtas	915327.00	9.15
29	Saharsa	673977.00	6.74
30	Samastipur	1534831.00	15.35
31	Saran	1292265.00	12.92
32	Sheikhpura	217795.00	2.18
33	Sheohar	249994.00	2.50
34	Sitamarhi	1253460.00	12.53
35	Siwan	1129417.00	11.29
36	Supaul	814574.00	8.15
37	Vaishali	1172260.00	11.72
38	W. Champaran	1367873.00	13.68
Total		34950000.00	349.50

अत्यावश्यक/अविलम्ब
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक-5प/गैर योजना-01-10/2016/22(अ18)/पंरा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 06.08.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 06.08.2019 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की द्वितीय किस्त की विमुक्त राशि को भारत सरकार से विमुक्ति हेतु 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के उपरांत 09 (नौ) दिनों के विलम्ब अवधि का भारतीय रिजर्व बैंक की 6.75 प्रतिशत बैंक दर से कुल ₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र की सूद की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र की सूद की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एकजीविशन रोड, पटना, बिहार (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 06.08.2019 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेगे।

1029

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अकैक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
6/8/19
(बजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/22(अनुरा) पं०रा० पटना, दिनांक 06/08/2019
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/प्रभारी पदाधिकारी-04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/19
(बजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/22(अनुरा) पं०रा० पटना, दिनांक 06/08/2019
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/8/19
(बजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

25/8/19